



## मध्यप्रदेश पुलिस का जन-जागरूकता

अभियान नशे से दूरी - है जरूरी

भोपाल, एजेंसी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से प्रदेश को नशेवाले बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस ने एक बहुद जन-जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जूरीकी शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा चलाया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स) श्री के. पी. वेंकेश्वर राव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उन्हें इस लत से दूर रखना और जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें उचित परामर्श और सहयोग प्रदान कर पुनर्वास को दिशा में मार्गदर्शन देना है।

इस जन-जागरूकता अभियान में विभिन्न शासकीय विभाग, गैर-सरकारी संगठन, धर्माचार्य, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, और ग्राम एवं नार सुरक्षा समितियाँ सक्रिय रूप से भाग लेंगी। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुँचाया जाएगा कि नश के बावजूद जीवन का अधिकार है। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और डिजिटल माध्यमों के जरूर जन-जागरूक फैलाने का कार्य करेगा।

**हमीदिया अस्पताल में एमआरसी-सीटी**

### स्कैन का सफल ट्रायल

भोपाल, एजेंसी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में नई सीटी स्कैन और एमआरसी-सीटी को सोमवार को ट्रायल किया गया है। इस मोके पर (गांधी मेडिकल कॉलेज) डीन डॉ. कविता एन सिंह, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रबंधन के अनुसार, इन मरीजों के पूरी तरह से शुरू होने के बाबी मरीजों को मॉर्डन जीवन सुविधाएं अस्पताल परिसर में ही मिलेंगी। हालांकि, मरीजों के लिए यह सुविधा कब से शुरू होंगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। हमीदिया अस्पताल ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए भवन ब्लॉक-1 में 6 करोड़ रुपए की सीटी स्कैन और 18 करोड़ रुपए की एमआरआई मरीजों स्थापित की हैं। इन्हें इमरजेंसी विभाग के टीक पांछे लगाया गया है, ताकि गंभीर मरीजों को जाँच तुरन्त की जा सके। हाल ही में शासन से मंजुरी मिलने के बाद इन मरीजों के संचालन के लिए टेक्निकल मेडिकल कॉलेज भी हो गई है। यह पहले नेशनल सीटी मेडिकल कॉलेज के तहत की गई है, जिसके अनुसार इन मरीजों के साथ ही आभा आईडी जनरेशन के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुचारा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

**माखनलाल फ्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पुनर्गठन**

भोपाल, एजेंसी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कार्य दक्षता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 जुलाई 2025 को तीन विभागाध्यक्षों को नए प्रभार संभालने का आदेश जारी किया। इन बदलावों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और समर्पित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

**18 क्रेट अमानक ब्रांड की पानी की बोतलें जब्त**

भोपाल, एजेंसी। स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस में कार्बोर्ब्स; न बिल मिले, न वैध अनुमति

भोपाल। भोपाल रेल मंडल के वाणिज्य विभाग ने कुशीनगर एक्सप्रेस (22538) से 18 क्रेट अनएरब्ल ब्रांड की पानी की बोतलें जब्त की हैं। यह बोतलें रेलवे की स्थीरकृत सूची में नहीं थीं और न ही विक्रेताओं के पास कोई वैध अनुमति या बिल उपलब्ध था। जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि कुशीनगर एक्सप्रेस में अवैध रूप से घटिया गुणवत्ता का पानी बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही विभाग ने तकाल एक संयुक्त टीम गठित की, जिसमें स्टेशन मास्टर (कॉमर्शियल) एके खरे,



मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक सुनीत वर्मा, मंडल वाणिज्य निरीक्षक विनोद वर्मा और कैटरिंग इंस्पेक्टर भोपाल मेंघा नागदेव को शामिल किया गया।

जैसे ही ट्रेन भोपाल स्टेशन पर पहुँची, टीम ने योजना के तहत ट्रेन में चढ़कर जांच शुरू की। पैंटी और वेंडिंग पॉइंट्स के आसपास तलाशी ली गई, जहां से बड़ी

तोमर ने मौजूद अधिकारियों को सड़क, पैदल, सीवर तथा बिजली से सम्बंधित शिकायतों के त्रैवर निराकरण के लिए दिये। उन्होंने

तोमर की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए

उत्तराधिकारी की ध्यान विश्वविद्यालय की

प्रशासनिक व्यवस्था को लिए



# विद्यार

अमेरिकी कंपनी ने वायदा कारोबार से भारतीय निवेशकों से 2 लाख करोड़ ढगे

अमेरिका की कंपनी जेन स्ट्रीट हाई फ़िक्रेंसी ट्रैडिंग फर्म है। इसने पिछले 4 सालों में भारत के वायदा कारोबार में ट्रैडिंग के नियमों का उल्लंघन कर लाखों करोड़ रुपए की लूट भारत से की है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेवी) आंख बंद करके बैठी रही। भारत के वायदा कारोबार से जुड़े 91 फ़ीसदी निवेशकों को पिछले 4 सालों से यह कंपनी लूट रही थी। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट इसने पिछले वर्षों में की है। इसके पहले के आंकड़ों को अभी तक सेवी ने उजागर नहीं किया है। जब इस मामले की कलई खुली, सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए 4843.57 करोड़ रुपए जस करने के आदेश दिए हैं। इस कंपनी ने पिछले दो वर्ष जिसमें वर्ष 2024 में लगभग 50000 करोड़ रुपए 2025 में 74812 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कंपनी ने निपटी के 50 इंडेक्स वाले शेयरों में हाई फ़िक्रेंसी ट्रैडिंग वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, पिछले 4 वर्षों से धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनी सुबह के समय भारी मात्रा में वायदा कारोबार के शेयर और प्यूचर्स में कारोबार करती थी। वायदा कारोबार में इन कंपनियों की खरीदी के कारण जब तेजी आ जाती थी। तो खरीदे हुए शेयर कुछ ही सेकंडों में बेचकर भारी मुनाफा कमाकर अमेरिका ले जाती थी। इसकी जानकारी देने वाले विहसिल ब्लोअर मयंक बंसल का दावा है। जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक 36502 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाया है। इसकी सहयोगी कंपनियों के आंकड़े को भी सामने लाया जाए तो पिछले 4 वर्षों में वायदा कारोबार में जो 91 फ़ीसदी छोटे भारतीय निवेशक थे। उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। अमेरिका की कंपनी ने वायदा कारोबार में इंडेक्स की 50 कंपनियों में शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए भारी मुनाफा कमाया है। भारतीय शेयर बाजार से कमाए गए मुनाफे को कंपनी अमेरिका ले गई है। भारतीय शेयर बाजार का पैसा सिंगापुर और अमेरिका में बढ़े पैमाने पर अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया है। वायदा कारोबार के भारतीय 91 फ़ीसदी निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। वायदा कारोबार के 50 इंडेक्स वाली सूची के शेयरों में निवेश करने वाले धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया है। सेबी ने 4843.57 करोड़ रुपए जस करने के आदेश दिए हैं। इस कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए की लट भारतीय शेयर बाजार से अवैध तरीके से की है। सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पल-पल की खबर होती है। शिकायत करने के बाद भी दोनों नियामक संस्थाओं ने कोई कार्यवाही कंपनी पर नहीं की। 4 साल से यह गोरख धंधा चलता रहा, अब जाकर कार्रवाई की गई है। अमेरिका की कंपनी अमेरिका में मामला दर्ज कराने की बात कर रही है। भारतीय शेयर बाजार, विदेशी कंपनियों को मुनाफा देने वाला सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार सोने के अंडे देने वाला बाजार है। भारत की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले एक दशक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में भारी निवेश किया है। म्युचुअल फंड के जरिये करोड़ों भारतीय छोटे निवेशकों ने शेयर बाजार में निवेश किया है। पिछले 10 साल से विदेशी निवेशकों के लिये मुनाफा बसूली का सबसे बड़ा बाजार भारत का शेयर बाजार है। दुनिया के किसी भी शेयर बाजार में इस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली, जो भारतीय शेयर बाजारों में देखने को मिली। निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेबी की होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी इस तरह के लेनदेन पर निगाह रखनी थी। समय रहते कार्रवाई करनी थी। तीनों आंख बंद करके बैठे रहे। रही-सही कसर कंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरी की है। जब भारत से अरबों रुपए की राशि हर महीने विदेश जा रही थी। शेयर बाजार के जरिए काले धन को विदेशों से भारत के शेयर बाजार में निवेश किया लाया जा रहा था। यहां से मुनाफा बसूली करके धन वापस ले जाया जा रहा था। इस मामले की कई शिकायतें पिछले वर्षों में हुई हैं। किसी भी संस्था ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई।

# मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

## लिलित गर्ग

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिफर एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए।



वपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्देशित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आई, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेरे नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के अखिल तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है? भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो,

नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटा दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि 'जो सरकार करे, उसका विरोध करो', चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मज़ाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमज़ोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमज़ोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतंत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धोरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लैंकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने, फर्जी वोटरों की छन्नी, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक शुद्धिकरण था। यह सुधार न केवल चुनावों को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। परन्तु कृष्ण राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इस जातीय आंकड़ों, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित से जोड़कर कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को न केवल वैध बताया, बल्कि उसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी बताया। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अब समय आ गया है जब चुनावी ईमानदारी को राजनीतिक शोरगुल और वोट बैंक की राजनीति के शोर में दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष की प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित होती जा रही है, चाहे मुद्दा हो आर्थिक सुधार का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, या अब मतदाता सूची सुधार का। प्रश्न यह उठता है कि क्या हर सुधार प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी लोकतंत्रिक या पारदर्शी हो, विपक्ष के लिए मात्र एक राजनैतिक खतरा है? विपक्ष का यह रवैया यह दर्शाता है कि उसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम और अपनी राजनीतिक गणनाओं पर भरोसा अधिक है।

एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। यदि कोई सुधार प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक भी फर्जी वोट सूची में न हो, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची बने, तो फिर उसका विरोध क्यों? विपक्ष इस डर से ग्रस्त है कि यदि मतदाता सूची साफ-सुधरी हो गई, तो उनके कथित परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकते हैं। उन्हें डर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। लोकतंत्र 'जो है, उसे प्रतिबिंबित करे', न कि 'जो

# कौशलता विकास परिवर्तन के वाहक युवाओं की समृद्धि के विकास का मूल मंत्र है

से ही कई बदलावों को तेज कर दिया है, जो उन कौशल और दक्षताओं के बारे में अनिश्चितता की परतें जोड़ते हैं जिससे हम कौशलता से ऐसा दक्ष हो जाते हैं कि हम नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियां, जैसे कि यूनेस्को-यूएनईवीओसी, काम की दुनियाँ में पहुंची बाधाओं को कम करके इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए प्राप्त कौशल को मान्यता प्राप्त और प्रमाणित किया जाता है, और बाहर के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। स्कूली युवा और जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (एनईटी) में नहीं हैं 2030 एजेंडा के लिए कार्बवाई के इस दशक के दौरान, सकारात्मक परिवर्तन और नवाचार उत्पन्न करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं में युवाओं की पूर्ण भागीदारी महत्वपूर्ण है हमारे माननीय पीएम के द्वारा प्रोजेक्ट्स में से एक है। भारत ने इसके लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया है जो उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, अच्छे काम रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशलता प्रदान करने के महत्व

पर जोर देता है और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर कौशलता विकास के महत्व पर जन जागरण बहुत ही जोर शोर से करता है। साथियों बात अगर विश्व कौशलता दिवस 15 जुलाई 2025 के बारे में जानने की करें तो, थीम-2025 के लिए, विश्व युवा कौशल दिवस की थीम एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण है। महत्व-यह दिन युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में प्रारंभिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। आयोजन-इस दिन, विभिन्न कार्यक्रम,



कार्यशालाएं और संवाद आयोजित किए जाते हैं जिनमें युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है। भागीदारी-शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षण प्रदाता और अन्य सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि युवा आवश्यक कौशल प्राप्त करें। दिनांक 12 जुलाई 2025 को देर शाम माननीय उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कौशल का विकास के बारे में कहा भारतीय संविधान में 22 दृश्य चिठ्रों में एक गुरुकुल की भी छवि है। हम इसे से ज्ञान के दान में विश्वास करते रहे हैं।

कोचिंग सेंटरों को अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग कौशल केंद्रों में बदलने के लिए करना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी और मेरे सामने और बाहर मौजूद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस बीमारी की गंभीरता को समझें। उन्हें शिक्षा में विवेकशीलता बहाल करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें कौशल के लिए प्रबल प्रशिक्षण की

सख्त आवश्यकता है।  
साथियों बात अगर हम युवा कौशलता के लिए  
भारत द्वारा उठाए गए कदमों की करें तो, युवाओं  
की स्किल डेवलेपमेंट के लिए उठाए गए कदम  
निम्नलिखित हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र

(आईटीआई)= वर्ष 1950 में परिकल्पित, का उद्देश्य भारत में मौजूदा दीर्घकालिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है। पीएम स्किल्स विकास योजना (पीएमके वीवाई)= 2015 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त स्किल्स प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। पीएम स्किल्स विकास योजना- यह भारत के युवाओं को 400 सेअधिक स्किल्स पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर रोजगार योग्य स्किल्स के साथ सशक्त बनाने के लिए 2021 की शुरुआत की गई है। पूर्व सीखने की मान्यता इसे 2015 में व्यक्तियों द्वारा अर्जित पूर्व स्किल्स को पहचानने के लिए लॉन्च किया गया था। यह पीएमके वीवाई के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके तहत एक निश्चित स्किल्स वाले या पूर्व सीखने के अनुभव वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्किल्स योग्यता फ़ेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार ग्रेड के साथ आरपीएल के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना- इसके साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए अपनी राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर स्किल्स प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन (स्मार्ट)= यह एकल खिड़की आईटी अनुप्रयोग प्रदान करता है जो स्किल्स पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की मान्यता, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित है। आजीविका के लिए स्किल्स अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)= इसका ध्यान अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला-स्तरीय स्किल्स पारिस्थितिकी तंत्र पर है। यह एक केंद्र प्रयोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के साथ सहयोग किया गया है।







